भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *236
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

विश्व मात्स्यिकी दिवस

* 236. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर 'मात्स्यिकी और जलकृषि में ट्रेसेबिलिटी संबंधी राष्ट्रीय रूपरेखा 2025' का अनावरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस रूपरेखा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मछली पकड़ने वाले जहाजों, जलकृषि फार्मों, प्रसंस्करण इकाइयों और आपूर्ति शृंखलाओं में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कोई तंत्र शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस ढांचे को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोई प्रायोगिक परियोजना या सहयोग शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस नई प्रणाली को अपनाने में मछुआरों, जलकृषि किसानों और संबंधित हितधारकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क)से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'विश्व मात्स्यिकी दिवस' के संबंध में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्यों, श्री सुधीर गुप्ता और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न सं 236 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2015-16 से 38,572 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ब्लू रिवोल्यूशन, फिशरीस एंड एक्काकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (FIDF), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) जैसी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है ।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार के समन्वित प्रयासों एवं सुविचारित नीतियों के परिणामस्वरूप, वार्षिक मत्स्य उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अनंतिम) में 195 लाख टन हो गया है, जिससे 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, समुद्री खाद्य निर्यात भी वित्त वर्ष 2014-15 में 30,213 करोड़ रुपए से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 107 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा मूल्यवर्धित उत्पादों (वैल्यू एडेड प्रोडक्टस) का शेयर 2 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग द्वारा अब तक 21,274.16 करोड़ रुपए की लागत वाले मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केंद्रीय शेयर 9,189.79 करोड़ रुपए है। मात्स्यिकी क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से PMMSY के तहत मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला (फिशरीस वैल्यू चेन) के विभिन्न चरणों में कई हस्तक्षेप/गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, खारे पानी की जलीय कृषि का विस्तार, विविधीकरण एवं सघनीकरण, निर्यातोन्मुख प्रजातियों का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का समावेशन, सुदृढ़ रोग प्रबंधन एवं ट्रेसबिलिटी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन सहित आधुनिक पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर का सृजन, आधुनिक फिशिंग हारबर्स तथा फिश लेंडिंग सेन्टर्स का विकास आदि शामिल है। गत पाँच वर्षों के दौरान PMMSY ने मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि क्षेत्र की समग्र वृद्धि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन वित्त वर्ष 2019-20 के 141.64 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अनंतिम) में 195 लाख टन हो गया है, जिससे 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है; (ii) मत्स्य निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 के 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

PMMSY की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, विश्व मात्स्यिकी दिवस अर्थात् 21 नवम्बर, 2025 के अवसर पर प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के अंतर्गत एक उप-गतिविधि के रूप में "नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्काकल्चर 2025" जारी किया गया। इसका उद्देश्य मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में एक राष्ट्रीय डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की स्थापना करना, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के लिए देशीय मानकों तथा अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि करना तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लघु स्तर के मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना है, जिससे अंततोगत्वा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

चूंकि यह फ्रेमवर्क हाल ही में 21.11.2025 को लॉन्च किया गया है, अत: अभी इसमें किसी भी प्रकार की समीक्षा अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग ने अब तक ट्रेसबिलिटी पर कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। यह फ्रेमवर्क एक नेशनल लेवल गवर्नेंस कमेटी (NLGC) का प्रावधान करता है, जो एक सर्वोच्च संस्था के तौर पर रणनीतिक निगरानी, इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी गाइडेंस देगी ताकि फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह NLGC के समग्र मार्गदर्शन में एक एडॉप्शन कमेटी का भी प्रावधान करता है, जो मछुआरों, जलकृषि किसानों और संबंधित हितधारकों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा मात्स्यिकी और जलकृषि में IT आधारित राष्ट्रीय ट्रेसबिलिटी सिस्टम को अपनाने के तंत्र की सिफारिश करेगी। इसके अलावा, यह डिजिटल ट्रेसबिलिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर लघु स्तरीय ऑपरेटरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता का भी प्रावधान करता है।

***